दिनांक–10.02.2026

नोटिस

विषयः– **नगर पालिका परिषद पडरौना, जनपद कुशीनगर के अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी द्वारा नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 86(2) के अंतर्गत अधियाचन की बैठक बुलाये जाने हेतु शासन/जिला प्रशासन के आदेशों की लगातार अवहेलना किये जाने के कारण हम सभासदगणों द्वारा आमरण अनशन किये जाने के सम्बन्ध में।**

उपर्युक्त विषयक सादर अवगत कराना है कि हम प्रार्थीगण नगर पालिका परिषद पडरौना, जनपद कुशीनगर (उ0प्र0) के निर्वाचित सभासद हैं। प्रार्थीगण द्वारा नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 86(2) के अंतर्गत अधियाचन की बैठक बुलाये जाने हेतु दिनांक 11.09.2025 को अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी को लिखित रूप से अनुरोध किया गया था **(संलग्नक–1)**। सभासदों के अनुरोध पत्र को अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी द्वारा संज्ञान मे न लिये जाने के फलस्वरूप स्थानीय जिला प्रशासन सहित विभागीय उच्चाधिकारियों को लगातार लिखित रूप से अनुरोध पत्र प्रेषित किया जाता रहा है, जो जिला प्रशासन एवं शासन की पत्रावली में संचित है। शासन द्वारा उक्त पत्रों को संज्ञान में लिये जाने के फलस्वरूप अपने पत्र दिनांक 10.11.2025 को जिलाधिकारी कुशीनगर को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु प्रेषित किया गया था **(संलग्नक–2)**। जिसके अनुपालन में जिलाधिकारी कुशीनगर द्वारा अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद पडरौना को उपजिलाधिकारी पडरौना को पर्यवेक्षक नियुक्त करते हुए दिनांक 27 नवम्बर 2025 दिन वृहस्पतिवार को बोर्ड बैठक की कार्यवाही पूर्ण किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था **(संलग्नक–3)**। इसके उपरान्त भी अध्यक्ष / अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद पडरौना जनपद–कुशीनगर द्वारा उक्त आदेशों की अवहेलना करते हुए नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 86(2) मे दिये गये व्यवस्था के अनुसार अधियाचन की बैठक अब तक नहीं बुलायी गयीं। सभासदों के लगातार किये जा रहे लिखित अनुरोध पत्रों को संज्ञान में लेते हुए पुनः शासन ने अपने पत्र दिनांक 19.01.2026 द्वारा जिलाधिकारी कुशीनगर को निर्देशित किया गया कि नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 86(1) के तहत सभासदों के अधियाचन पत्र में दिये गये बिन्दुओं पर आवश्यक कार्यवाही कराते हुए 01 सप्ताह के भीतर शासन को अवगत कराने का कष्ट करें **(संलग्नक–4)**। जिसके अनुपालन में जिलाधिकारी कुशीनगर ने अपने पत्र दिनांक 23 जनवरी 2026 द्वारा अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद पडरौना को निर्देशित किया गया कि 03 दिवस के अन्दर कार्यवाही कराते हुए अवगत करायें **(संलग्नक–5)**। अत्यन्त दुःख के साथ अवगत कराना पड़ रहा है कि जिला प्रशासन/शाासन के आदेशों की लगातार अवहेलना करते हुए अद्यतन अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद पडरौना, जनपद–कुशीनगर द्वारा बैठक बुलाये जाने हेतु कोई एजेण्डा जारी नही किया गया है। इस तरह नगर पालिका परिषद पडरौना के अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी द्वारा नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 86(2) जिसमें 15 दिनों के अन्दर अधियाचन की बैठक बुलाये जाने का प्राविधान है, के साथ–साथ जिला प्रशासन/शासन के आदेशों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रहीं हैं।

अतः अवगत कराना है कि अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी, न0पा0प0पडरौना, जनपद–कुशीनगर द्वारा यदि जिला प्रशासन/शासन के आदेशों का अनुपालन में अधियाचन

(क्रमशः........2)

की बैठक दिनांक 24.02.2026 तक नहीं कराया गया तो हम सभासदगण द्वारा दिनांक 25-02-2026 से आमरण अनशन करने के लिये बाध्य होंगे, जिसकी सारी जिम्मेदारी नगर पालिका परिषद पडरौना के अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी एवं जिला प्रशासन/शासन की होगी।

प्रतिलिपिः-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उपरोक्त प्रकरण में तत्काल हस्तक्षेप करते हुए अधिनियम में दी गयी व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु कार्यवाही करने की कृपा करें।

1. माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, भा0ज0पा0, उ0प्र0 लखनऊ।
2. माननीय संगठन मंत्री जी, भा0ज0पा0, उ0प्र0 लखनऊ।
3. माननीय मुख्य मंत्री महोदय, उ0प्र0 सरकार लखनऊ।
4. माननीय नगर विकास मंत्री जी, उ0प्र0 सरकार लखनऊ।
5. माननीय प्रभारी मंत्री जी, भा0ज0पा0, जनपद कुशीनगर।
6. माननीय राज्यसभा सांसद जी, कुशीनगर।
7. माननीय लोकसभा सांसद जी, कुशीनगर ।
8. माननीय सदर विधायक जी, विधान सभा क्षेत्र पडरौना।
9. माननीय जिलाध्यक्ष महोदय, भा0ज0पा0, जनपद कुशीनगर।
10. प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, अनुभाग-6, उ0प्र0 शासन लखनऊ।
11. आयुक्त महोदय, गोरखपुर मण्डल गोरखपुर।
12. जिलाधिकारी महोदय, कुशीनगर।
13. पुलिस अधीक्षक महोदय, कुशीनगर।
14. मुख्य चिकित्साधिकारी महोदय, कुशीनगर।
15. अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी न.पा.प. पडरौना

सभासदगण
न0पा0प0पडरौना
जनपद-कुशीनगर

(14) अंशु जायसवाल
(1) [illegible] मो0 9455149714
(15) उषा देवी
(2) अंजू देवी
(16) संजय चौधरी
(3) [illegible]
(4) [illegible]
(17) Abhinph [illegible]
(5) [illegible]
(18) [illegible]
(6) [illegible] (अजय कुमार चौहान)
(19) रंजीता देवी
(7) Tabassum Jahan
(20) [illegible]
(21) [illegible]
(8) सौरभ कुमार सिंह
(9) मालती
(10) सीता देवी
(11) [illegible]
(12)
(13) [illegible]

दिनांक 11/09/2025

सेवा में,

मा0 अध्यक्ष महोदय,
नगर पालिका परिषद पडरौना
जनपद–कुशीनगर

विषयः– **सदस्यों के अधियाचन पर बैठक बुलाये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

निवेदन पूर्वक हम सभासदगण आपसे यह अनुरोध करते हैं कि नगर पालिका परिषद पडरौना (कुशीनगर) में उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 86(2) के तहत जनहित में विभिन्न बिन्दुओं के सम्बन्ध में बैठक बुलाया जाना अति आवश्यक है ।

1. उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 104, 107, 108, 111, 112 व 113 के अंतर्गत समितियों के गठन पर विचार ।
2. नगर पालिका परिषद पडरौना के अंतर्गत विस्तारित क्षेत्रों में जनहित के सुगमता हेतु सड़क, नाली, पथ प्रकाश, शुद्ध पेयजल आदि पर विचार ।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त बिन्दुओं पर नगर पालिका अधिनियम 1916 में निहित प्राविधानों के तहत यथाशीघ्र एजेन्डा निर्गत करते हुए बैठक बुलने का कष्ट करें।

सभासदगण,
नगर पालिका परिषद पडरौना
जनपद–कुशीनगर, उ0प्र0

1–रंजिता देवी रंजीता देवी
2–विश्वनाथ प्रताप सिंह
3–संजय चौधरी सजय चौधरी
4–क्यामुद्दीन अंसारी क्यामुद्दीन अन्सारी
5–बलवन्त सिंह Balwant
6–अंजु देवी कुशवाहा अंजू देवी
7–मैनुद्दीन
8–उत्तम कुमार चौहान
9–तबस्सुम जहां Tabassum Jahan
10–सीता देवी सीता देवी
11–अभिनाष सिंह Abhinash Singh
12–अमानतुल्लाह अमानतुल्लाह
13–एबादुल्लाह अंसारी
14–संतोष कुमार गुप्ता सन्तोष
15–शहनाज
16–शारदा पाल सिंह
17–बबलु प्रसाद खरवार
18–सौरभ कुमार सिंह

प्रतिलिपि–निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. श्रीमान् विहित प्राधिकारी/आयुक्त महोदय, गोरखपुर मण्डल गोरखपुर।
2. श्रीमान् जिलाधिकारी महोदय, कुशीनगर।
3. श्रीमान प्रभारी अधिकारी/स्थानीय निकाय, जनपद–कुशीनगर।
4. मा० मंत्री जी नगर विकास विभाग उ० प्र० सरकार ।
5. अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद, पडरौना ।

संख्या-I/1137811/2025/नौ-6-2025

प्रेषक,

रवीन्द्र सिंह,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
कुशीनगर, उ0प्र0।

नगर विकास अनुभाग-6 लखनऊः दिनांकः10-11-2025

विषय- नगर पालिका परिषद-पडरौना, जनपद-कुशीनगर, उ0प्र0 द्वारा नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा-86 (2) के अन्तर्गत उपसमितियों का गठन कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सभासदगण, नगर पालिका परिषद-पडरौना, जनपद-कुशीनगर, उ0प्र0 का पत्र दिनांक-13.10.2025 (छायाप्रति संलग्न) का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से सभासदगण, नगर पालिका परिषद-पडरौना, जनपद-कुशीनगर, उ0प्र0 द्वारा नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा-86 (2) के अन्तर्गत बोर्ड की बैठक बुलाकर बहुमत के आधार पर निश्चित समय-सीमा के अन्तर्गत उपसमितियों के गठन किसी पर्यवेक्षक की उपस्थिति में कराये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पत्र में उल्लिखित तथ्यों का परीक्षण कराते हुए प्रकरण में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

Digitally signed by
RAVINDRA SINGH
Date: 10-11-2025
16:20:44

(रवीन्द्र सिंह)
अनु सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि-अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद-पडरौना, जनपद-कुशीनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

(रवीन्द्र सिंह)
अनु सचिव।

कार्यालय जिलाधिकारी, कुशीनगर।

संख्या —— /एल0बी0सी0—2025—26 दिनॉक 13 नवम्बर, 2025

विषयः— नगर पालिका परिषद पडरौना, जनपद—कुशीनगर उ0प्र0 द्वारा नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा—86(2) के अन्तर्गत उपसमितियों का गठन कराये जाने के सम्बन्ध में।

अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद,
पडरौना—कुशीनगर।

उपर्युक्त विषयक अनु सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, नगर विकास अनुभाग—5, लखनऊ के पत्र संख्या—I/1137811/2025/नौ—6—2025, दिनांक—10.11.2025 का अवलोकन करें, जिसके माध्यम से सभासदगण, नगर पालिका परिषद—पडरौना जनपद कुशीनगर उ0प्र0 का पत्र दिनाक—13.10.2025 संलग्न करते हुये पत्र में उल्लिखित तथ्यों का परीक्षण कराते हुए प्रकरण में नियमानुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

अतः सभासदगण नगर पालिका परिषद, पडरौना द्वारा प्रस्तुत उक्त पत्र की प्रति इस आशय से संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है कि सभासदगण द्वारा किये गये अनुरोध के कम में नियमानुसार दिनांक—27 नवम्बर, 2025, दिन—बृहस्पतिवार को बोर्ड बैठक की कार्यवाही पूर्ण करायें। नियत तिथि/समय/स्थान से बोर्ड के सभी पदाधिकारी/सदस्यगण को अपने स्तर से व्यक्तिगत रूप से सूचित कराते हुए अधोहस्ताक्षरी एवं उप जिलाधिकारी पडरौना को भी अवगत करावें। नियत तिथि को बोर्ड बैठक सम्पन्न कराये जाने हेतु उप जिलाधिकारी पडरौना को पर्यवेक्षक नियुक्त किया जाता है।

संलग्नकः— यथोक्त।

अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)/
प्रभारी अधिकारी स्थानीय निकाय,
कुशीनगर।

पत्रांक— 654/दिनांकित।

प्रतिलिपिः— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1. आयुक्त महोदय, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर को आयुक्तालय के पत्र संख्या—9444, दि0—23.09.2025 के कम में।
2. जिलाधिकारी महोदय, कुशीनगर।
3. उप जिलाधिकारी पडरौना, जनपद कुशीनगर को शासन का पत्र दिनांक—10.11.2025 मय सलग्नक संलग्न कर इस आशय से प्रेषित कि दिनांक—27 नवम्बर, 2025 को नियत समय/स्थान पर पर्यवेक्षक के रूप में उपस्थित रहकर बैठक की कार्यवाही पूर्ण करायें।

13.11.2025

अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)/
प्रभारी अधिकारी स्थानीय निकाय,
कुशीनगर।

Scanned with OKEN Scanner

महत्वपूर्ण

संख्या-I/1209304/2026/नौ-6-2026

प्रेषक,

उदयभानु त्रिपाठी,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
कुशीनगर, उ0प्र0।

नगर विकास अनुभाग-6 लखनऊः दिनांकः19-01-2026

विषय- नगर पालिका परिषद-पडरौना, जनपद-कुशीनगर, उ0प्र0 द्वारा नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा-86 (2) के अन्तर्गत उपसमितियों का गठन कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-740 एल0बी0सी0-2025-26, दिनांक-26.12.2025 एवं सभासदगण, नगर पालिका परिषद-पडरौना, जनपद-कुशीनगर, उ0प्र0 का दिनांक रहित पत्र (छायाप्रति संलग्न) का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से नगर पालिका अधिनियम, 1916 के अन्तर्गत अध्यक्ष एवं अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद-पडरौना के विरूद्ध कार्यवाही कराये जाने एवं नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा 86 (2) के तहत सभासदों के अधियाचन पत्र में दिये गये बिन्दुओं पर बैठक बुलाकर विभिन्न उप समितियों का गठन कराये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही कराये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- अवगत कराना है कि प्रकरण में शासन के पत्र संख्याI/1137811/2025/नौ-6-2025, दिनांक 10.11.2025 के माध्यम से पत्र में उल्लिखित तथ्यों का परीक्षण कराते हुए नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कराये जाने हेतु जिलाधिकारी, कुशीनगर को निर्देशित किया गया था।

3- इस सम्बन्ध में उक्त पत्रों की प्रति प्रेषित करते हुए मुझे पुनः यह कहने का निदेश हुआ है कि पत्रों में उल्लिखित तथ्यों का परीक्षण कराकर प्रकरण में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कराते हुए कृत कार्यवाही की आख्या से 01 सप्ताह के भीतर शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त।

Digitally signed by
UDAI BHANU TRIPATHI
Date: 19-01-2026
17:23:43

भवदीय,

(उदयभानु त्रिपाठी)
विशेष सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि-अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद-पडरौना, जनपद-कुशीनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,
उदयभानु त्रिपाठी
विशेष सचिव।

कार्यालय जिलाधिकारी, कुशीनगर।

संख्या 819 /एल0बी0सी0–2025–26 दिनॉक 23 जनवरी, 2025

विषयः– नगर पालिका परिषद पडरौना, जनपद–कुशीनगर उ0प्र0 द्वारा नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा–86(2) के अन्तर्गत उपसमितियों का गठन कराये जाने के सम्बन्ध में।

अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद,
पडरौना–कुशीनगर।

उपर्युक्त विषयक विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, नगर विकास अनुभाग–6, लखनऊ के पत्र संख्या–I/1209304/2026/नौ–6–2026, दिनांक–19.01.2026 का अवलोकन करें, जिसके माध्यम से सभासदगण, नगर पालिका परिषद–पडरौना जनपद कुशीनगर उ0प्र0 का पत्र दिनांक–13.10.2025 संलग्न करते हुये पत्र में उल्लिखित तथ्यों का परीक्षण कराते हुए प्रकरण में नियमानुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

अतः सभासदगण नगर पालिका परिषद, पडरौना द्वारा प्रस्तुत पत्र की प्रति इस आशय से संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है कि सभासदगण द्वारा किये गये अनुरोध के कम में नियमानुसार कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही से इस कार्यालय को तीन दिवस के अन्दर अवगत कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नकः– यथोक्त।

अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)/
प्रभारी अधिकारी स्थानीय निकाय,
कुशीनगर।

पत्रॉक– 819 /दिनांकित।

प्रतिलिपिः– जिलाधिकारी महोदय, कुशीनगर की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।

अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)/
प्रभारी अधिकारी स्थानीय निकाय,
कुशीनगर।

दिनांक-31/12/2025

सेवा में,

श्रीमान प्रमुख सचिव महोदय,
नगर विकास विभाग, अनुभाग-6
उ0प्र0 शासन-लखनऊ।

विषयः- **नगर पालिका परिषद पडरौना, जनपद कुशीनगर के अध्यक्ष/ अधिशासी अधिकारी द्वारा शासन/आयुक्त/जिलाधिकारी के आदेश क्रमशः पत्रांक-561 दिनांक-24.09.2025 एवं कार्यालय जिलाधिकारी कुशीनगर के पत्रांक सं0-600/एल0बी0सी0-2025-26 दिनांक-30 अक्टूबर 2025 एवं शासन के आदेश सं0-1/1137811/ 2025/ नौ-6-2025 नगर विकास अनुभाग-6 लखनऊ दिनांक 10.11.2025 एवं जिलाधिकारी कुशीनगर के आदेश पत्रांक सं0-654/एल0बी0सी0-2025-26 दिनांक 13 नवम्बर 2025 की अवमानना किये जाने के कारण न0पा0अधि0-1916 की धारा 35(1) व (2) एवं धारा 48 (xiii) & 48 (xiv) के तहत उनके विरूद्ध नियमसंगत वैधानिक कार्यवाही करते हुए नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 86(2) के तहत सभासदों के अधियाचन पत्र में दी गई बिन्दुओं पर बैठक बुलाकर विभिन्न उपसमितियों का गठन कराये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक् अधोहस्ताक्षरीगण के पूर्व प्रेषित पत्रों का संदर्भ ग्रहण करने की कृपा करें, जो शासन की पत्रावली में संचित है। उक्त के सम्बन्ध में पुनः महोदय को अवगत कराना है कि नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 86(2) के अन्तर्गत बोर्ड की बैठक बुलाकर अधिनियम में दी गयी व्यवस्था के अनुसार जनहित के कार्यो को सुचारू रूप से संचालित करने के लिये विभिन्न उपसमितियों के गठन हेतु एक प्रार्थना-पत्र सभासदगणों द्वारा अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद पडरौना को दिनांक 11.09.2025 को प्राप्त करायी गयी थी। उक्त पत्र में 25 सभासदों में से 16 सभासदों के हस्ताक्षर तत्समय आवेदन पत्र पर थे, **(संलग्नक-1)**।

ज्ञातव्य है कि वर्तमान गठित बोर्ड की प्रथम बैठक में ही अध्यक्ष, न0पा0प0 पडरौना द्वारा शासनादेश सं0-265/9-6-07-मिस/07 नगर विकास अनुभाग-6 लखनऊ दिनांक 02 फरवरी 2007 का उल्लंघन करते हुए धारा 112 के अंतर्गत शक्तियों का प्रत्योजन स्वयं में अधिरोपित करके नगर पालिका के धन का दुरूपयोग किया जा रहा है, तथा इसके आड़ में अपने चहेतों को नगर पालिका के निर्माण कार्यो/अन्य जनहित के सम्बन्धित कार्यों को देकर सरकारी धन का बंदरबांट किया जा रहा है, जो नगर पालिका अधिनियम के विरूद्ध है, **(संलग्नक-2)**। इसी संदर्भ में हम सभी सभासदों द्वारा दिनांक 11.09.2025 को नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 86(2) के अन्तर्गत अधियाचन पत्र द्वारा समिति गठन हेतु आवेदन पत्र अध्यक्ष नगर पालिका परिषद पडरौना को प्रेषित की गई। अधियाचन की बैठक न कराकर दिनांक 12.09.2025 को अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद पडरौना द्वारा एजेन्डा जारी कर दिनांक 24.09.2025 को बैठक बुला ली गयी **(संलग्नक-3)**। जिसमें हम सभासदों द्वारा दिये गये अधियाचन पत्र का बिन्दु एजेन्डा में सम्मिलित नही करते हुए अन्य एजेन्डा जारी कर दिया गया।
इस तरह अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी द्वारा न0पा0अधि0 1916 की धारा 86(2) की अवहेलना की गयी। पुनः अध्यक्ष, न0पा0प0 पडरौना द्वारा दिनांक 06.10.2025 को बैठक हेतु एजेन्डा जारी

(क्रमशः..........2)

करते हुए दिनांक 09.10.2025 को बैठक आहूत कर ली गयी, इसमें भी हम सभासदों द्वारा दिये गये अधियाचन पत्र को सम्मिलित नही किया गया **(संलग्नक–4)**। तदोपरान्त हम सभासदगणों द्वारा आयुक्त (विहित प्राधिकारी), गोरखपुर मण्डल गोरखपुर से मिल कर सारे तथ्यों से अवगत कराया गया, जिसके उपरान्त अपर आयुक्त गोरखपुर मण्डल गोरखपुर द्वारा जिलाधिकारी कुशीनगर को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया, **(संलग्नक–5)**। उक्त पत्र के आलोक में जिलाधिकारी, कुशीनगर ने अपर जिलाधिकारी कुशीनगर को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया, जिसके अनुपालन में अपर जिलाधिकारी कुशीनगर द्वारा नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 86(2) के तहत बैठक बुलाकर उपसमितियों के गठन हेतु अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद पडरौना को आदेशित/निर्देशित किया है। साथ ही कृत कार्यवाही से अवगत कराने का भी निर्देश दिया गया है। साथ ही साथ अपर जिलाधिकारी कुशीनगर के आदेश सं0–600/ एल0बी0सी0–2025–26 दिनांक 30 अक्टूबर 2025 द्वारा जिलाधिकारी महोदय कुशीनगर को वस्तुस्थिति से अवगत कराया गया है **(संलग्नक–6)**। इसके उपरान्त भी अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी द्वारा सभासदगण के अधियाचन बिन्दु पर उपसमितियों के गठन हेतु बैठक की कार्यवाही नहीं कराई गयी।

इस सम्बन्ध में आदरणीय महोदय को यह भी अवगत कराना समीचीन होगा कि हम सभासदों की माँग को गंभीरता से लेते हुए शासन ने अपने पत्र सं0–1/1137811/2025 /नौ–6–2025 दिनांक 10.11.2025 के द्वारा जिलाधिकारी कुशीनगर को तथ्यों का परीक्षण कराते हुए प्रकरण में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का निर्देश दिया गया **(संलग्नक–7)**। शासन के उक्त आदेश के अनुपालन में जिलाधिकारी कुशीनगर द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक–654/एल0बी0सी0–2025–26 दिनांक 13.11.2025 को अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद पडरौना, जनपद कुशीनगर को स्पष्ट निर्देश जारी किया गया है कि ***''सभासदगण द्वारा किये गये अनुरोध के क्रम में नियमानुसार दिनांक 27 नवम्बर 2025, दिन वृहस्पतिवार को बोर्ड बैठक की कार्यवाही पूर्ण करायें। नियत तिथि /समय / स्थान से बोर्ड के सभी पदाधिकारी/सदस्यगण को अपने स्तर से व्यक्तिगत रूप से सूचित कराते हुए अधोहस्ताक्षरी एवं उपजिलाधिकारी पडरौना को भी अवगत करायें। नियत तिथि को बोर्ड बैठक सम्पन्न कराये जाने हेतु उपजिलाधिकारी पडरौना को पर्यवेक्षक नियुक्त किया जाता है''*** कृपया **संलग्नक–8** का अवलोकन करने की कृपा करें।

ज्ञातव्य हो कि न0पा0अधि0 1916 की धारा 35(1)व(2) में यह स्पष्ट उल्लिखित है कि अध्यक्ष द्वारा शासन एवं उच्चाधिकारियों के आदेश की अवमानना किये जाने पर धारा 35(1) **''यदि किसी भी समय अभ्यावेदन किये जाने पर या अन्यथा राज्य सरकार को यह प्रतीत हो कि नगर पालिका इस या किसी अन्य अधिनियमिति द्वारा, या के अधीन अधिरोपित किसी कर्तव्य का पालन करने में या चूक या इस अधिनियम या किसी अन्य अधिनियमिति द्वारा प्राप्त किसी शक्ति का प्रयोग करके राज्य सरकार द्वारा दिये गये किसी आदेश या जारी किये गये किसी निर्देश का पालन करने में चूक की है, तो राज्य सरकार नगर पालिका से स्पष्टीकरण माँगने और इस धारा के अधीन कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में नगर पालिका द्वारा उक्त कर्तव्य का पालन करने या उक्त आदेश या निर्देश के निष्पादन के लिए कोई अवधि निश्चित कर सकती है।''** धारा 35(2) ***''यदि उक्त कर्तव्य का पालन या आदेश अथवा निर्देश का निष्पादन इस प्रकार निश्चित की गयी अवधि के भीतर न किया जावे तो, यथास्थित राज्य सरकार या विहित प्राधिकारी, जिला मजिस्ट्रेट को या किसी ऐसे अन्य अधिकारी को जो डिप्टी कलेक्टर से निम्न पद का न हो, उसका पालन करने के लिए नियुक्त कर सकता है, और यह निर्देश दे सकती है कि उक्त कर्तव्य का पालन करने या आदेश या निर्देश का निष्पादन करने में होने वाले व्यय का 'यदि कोई हो' नगर पालिका द्वारा ऐसे समय के भीतर जो नियत किया जाये, जिला***

(क्रमशः..........3)

मजिस्ट्रेट को भुगतान किया जायेगा।'' एवं नगर पालिका अधिनियम 1916 की ***धारा 48 (xiii) ''नगर पालिका की बैठक में इस प्रकार से बाधा उत्पन्न की है कि इस बैठक में नगर पालिका का कार्य संचालन असंभव हो जाता है या ऐसा करने के लिए किसी को प्रेरित किया है''*** तथा ***धारा 48 (xiv) ''इस अधिनियम के अधीन दिये गये राज्य सरकार के किसी आदेश या निर्देश का जान बूझ कर उल्लंघन किया''।*** इस तरह अध्यक्ष/अधिशासी नगर पालिका परिषद पडरौना द्वारा स्पष्ट रूप से नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 35 (1) व (2) एवं धारा 48 (xiii) & 48 (xiv) के तहत दोषी सिद्ध पाये गये हैं। इस संदर्भ में श्रीमान द्वारा अब तक कोई वैधानिक कार्यवाही नहीं की गई है, न ही हम आवेदनकर्तागण को किसी प्रकार का कोई सूचना ही दिया गया है।

अतः श्रीमान जी से विनम्र निवेदन है कि 10 कार्य दिवस के अन्दर उपरोक्तानुसार उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा में वर्णित धारा 35 (1) व (2) एवं धारा 48 (xiii) & 48 (xiv) के तहत अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 86(2) के तहत सभासदों के अधियाचन पत्र में दी गई बिन्दुओं पर बैठक बुलाकर विभिन्न उपसमितियों का गठन कराये जाने हेतु जिलाधिकारी, कुशीनगर को निर्देशित करने की कृपा करें। अन्यथा की स्थिति में हम नगर पालिका परिषद पडरौना, जनपद कुशीनगर के निर्वाचित सभासदगण माननीय उच्च न्यायालय की शरण में जाने के लिये बाध्य होंगे, जिसकी सारी जिम्मेदारी शासन/प्रशासन की होगी।

सभासदगण,
नगर पालिका परिषद पडरौना (कुशीनगर)

1–रंजिता देवी (मो0नं0–9721515120)
2–विश्वनाथ प्रताप सिंह (मो0नं0–8858416677)
3–संजय चौधरी (मो0नं0–9838848430)
4–क्यामुद्दीन अंसारी (मो0नं0–8423911748)
5–बलवन्त सिंह (मो0नं0–9958443401)
6–अंजु देवी कुशवाहा (मो0नं0–8173058033)
7–मैनुद्दीन (मो0नं0–9918884191)
8–उत्तम कुमार चौहान (मो0नं0–7068942494)
9–तबस्सुम जहां (मो0नं0–9616168886)
10–सीता देवी (मो0नं0–8957840300)
11–अभिनाष सिंह (मो0नं0–7880814923)
12–अमानतुल्लाह (मो0नं0–8736034321)
13–एबादुल्लाह अंसारी (मो0नं0–9415438361)
14–संतोष कुमार गुप्ता (मो0नं0–9935379766)
15–शारदा पाल सिंह (मो0नं0–7007479194)
16–बबलू प्रसाद खरवार (मो0नं0–9455149714)
17– मालती देवी (मो0नं0–9119814796)
18– सौरभ कुमार सिंह (मो0नं0–8052535006)

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को उनके पूर्व आदेशों के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. श्रीमान् आयुक्त, गोरखपुर मण्डल गोरखपुर।
2. श्रीमान् जिलाधिकारी, कुशीनगर।
3. मा0 अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद पडरौना, जनपद–कुशीनगर।